



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 163]

No. 163]

नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 31, 2007/चैत्र 10, 1929

NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 31, 2007/CHAITRA 10, 1929

कम्पनी कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2007

सा.का.नि. 265(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 266क, 266ख और 266ड के साथ पठित धारा 642 की उपधारा (1) के खंड (क) और खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (निदेशक पहचान संख्या) नियम, 2006 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बतानी है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (निदेशक पहचान संख्या) दूसरा संशोधन नियम, 2007 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (निदेशक पहचान संख्या) संशोधन नियम, 2006,-
 - (i) कंपनी (निदेशक पहचान संख्या) नियम, 2006 के नियम 4 के परंतुक में "31 मार्च 2007" अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर "30 जून 2007" अंक, अक्षर और शब्द रखे जाएंगे।
 - (ii) कंपनी (निदेशक पहचान संख्या) नियम, 2006 के नियम 6 के परंतुक में "31 मार्च 2007" अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर "30 जून 2007" अंक, अक्षर और शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 1/4/2006-सीएल: V]

वाई. एस. मलिक, संयुक्त सचिव

पाद. टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में सं. सा.का.नि. 649(अ) तारीख 19 अक्टूबर, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सं. सा.का.नि. 14(अ) तारीख 9 जनवरी, 2007 द्वारा संशोधित किए गए थे।

1927 GI/2007

MINISTRY OF COMPANY AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 29th March, 2007

G.S.R. 265(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (a) and (b) of sub-section (1) of Section 642 read with Sections 266A, 266B and 266E of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Companies (Director Identification Number) Rules, 2006, namely :—

1. (1) These rules may be called the Companies (Director Identification Number) Second Amendment Rules, 2007.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Companies (Director Identification Number) Rules 2006,—
 - (i) in rule 4, in the proviso, for the figures, letters and words "31st March 2007", the figures, letters and words "30th June 2007" shall be substituted;
 - (ii) in rule 6, in the proviso, for the figures, letters and words "31st March 2007", the figures, letters and words "30th June 2007" shall be substituted.

[F.No. 1/4/2006/CL.V]

Y. S. MALIK, Jt. Secy.

Foot Note: The principal rules were published in the Gazette of India vide number G.S.R. 649(E), dated 19th October, 2006 and subsequently amended vide number G.S.R. 14(E) dated the 9th January, 2007.